मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3 / 100 / 2010 / 32 भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

प्रति,

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :– भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नियम रियल स्टेट बिल 2016 बाबत ।

उपरोक्त विषय मे नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हिन्दी एवं अँग्रेजी की सुचना दिनांक 29 / 11 / 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 29 / 11 / 2016 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 29 / 11 / 2016 को प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियॉ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक–एफ–3 / 100 / 2010 / 32 भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

प्रतिलिपिः–

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की ओर विभागीय सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को नग्रानि की बेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एव आवास विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश 1688 02/12/16 Add. Dr (N) TC आयुक्त

L2/395 8/12/16

ADC (Legal) RA 08.12.16

website पर तत्काल प्रकाशन करें

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2016

क्रमांक– एफ 3–100/2010/32 :– रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 20 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा और भत्ते, अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्ते वहीं होंगी जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को अनुज्ञेय है। पूर्णिकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां, विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय अंतिम आहरित वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों के समतुल्य होंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, उसकी नियुक्ति के समय निःशक्तता अथवा अपंगता पेंशन को छोड़कर, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है तो यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से पेंशन की राशि कम की जायेगी, जिसमें पेंशन का वह भाग जिसे संराशित किया गया था, सम्मिलित है तथा समतुल्य पेंशन या सेवानिवृत्ति उपादन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति के लाभों के अन्य प्रकारों के समतुल्य पेंशन को घटाकर दिया जायेगा।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, Dated 29/ 11/2016

No. F-3-100-32-2010 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rule, 2016, namely :

AMENDMENT

In the said rules, in rule 20, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :

"(1) The salary of Chairperson of the Regulatory Authority shall be equivalent to the salary of the Chief Secretary of the State and Allowances, other perquisites and service condition shall be same as admissible to Election Commissioner of the State. The salary, allowances and other perquisites of the whole time member shall be equivalent to the last drawn salary, allowances and other perquisites admissible to such person prior to his appointment as Member to the Regulatory Authority:

Provided that if the Chairperson or whole time member, at the time of his appointment, is in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service rendered by him under the Government of India, or under the Government of a state, his salary in respect of the service as the Chairperson or the Member as the case may be shall be reduced from the amount of the pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent or retirement gratuity."

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K. Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department